राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर)

क्रमांकः एफ.18(242)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2021–22/5959-6005 दिनांक :– 1/2/2022

परिपत्र

पी.एम.के.एस.वाई 2.0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 145 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार के भू–संसाधन विभाग के पत्रांक K-11011/20/2022-WDC 2.0/Rajasthan दिनांक 19.01.2022 द्वारा जारी की गयी है। योजना की मार्गदशिका के अनुसार ग्रामीण समुदाय की विश्वसनीयता एवं संबंध स्थापित करने हेतु प्रत्येक परियोजना की स्वीकृत राशि की 2 प्रतिशत राशि प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत व्यय किये जाने का प्रावधान है। पी.एम.के.एस.वाई 1.0 अन्तर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के सन्दर्भ में पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों को आहरित करते हुए पी.एम.के.एस.वाई 2.0 हेतु निम्नानुसार नये दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

कार्य चयन प्रक्रियाः–

प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो का चयन ग्रामीण समुदाय की राय/सहमति के अनुसार जलग्रहण विकास दल द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के योजना में सम्मिलित क्षेत्रफल के अनुपात में ई.पी.ए. राशि का व्यय किया जायेगा। यह ध्यान रखा जावें कि जहाँ तक संभव हो, परियोजना अन्तर्गत आने वाले अधिकतम गांवों में कार्य लिया जावें। कार्यो की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी। भारत सरकार के भू संसाधन विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका में एफ.पी.ओ. के गठन को प्राथमिकता प्रदान की गई है। परियोजना क्षेत्र के एफ.पी.ओ. के कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान किए गए शेयरधारकों के साथ पंजीकृत होने एवं एफ.पी.ओ. के पास संचालन हेतु स्थान उपलब्ध होने उपरान्त आधारभूत संरचना निर्माण कार्य के अलावा एफ.पी.ओ. द्वारा कस्टम हायरिंग सेन्टर को भी ई.पी.ए. गतिविधि के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। कार्यों का निर्धारण प्रमुखता से स्थानीय स्थिति एवं स्थानीय लोगों की मांग के आधार पर किया जाना है।

प्रवेश बिन्दु गातिविधि अन्तर्गत अनुमत कार्यः–

प्रवेश बिन्दु गातिविधि अन्तर्गत प्राथमिकता से निम्नलिखित कार्यो का चयन करवाये जावें :–

- एफ.पी.ओ. के सफल संचालन हेतु एवं एफ.पी.ओ. के द्वारा संचालित किये जाने वाले कस्टम हायरिंग सेन्टर के लिए आधारभूत संरचना निर्माण कार्य।
- वर्षा जल संग्रहण से संबंधित समस्त नये कार्यों के साथ ही पूर्व के निर्मित पुराने जल संरक्षण ढांचों/एनीकटों/तालाबों इत्यादि का नवीनीकरण व जीर्णोधार करना।
- ग्रामीण युवाओं के लिए खेल–कूद सुविधाओं के विस्तार कार्यो को प्रोत्साहन जैसेः– ओपन जिम निर्माण, खेल मैदान में सुविधाओं का विस्तार करना इत्यादि ।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों व प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका का निर्माण।
- मेशवायर/चैनलिंक फेन्सिंग के साथ वृक्षारोपण कार्यो/चारागाह विकास/वानिकी कार्य।
- स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विकास यथा सोलर ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संग्रहण कर पीने के पानी की व्यवस्था करना/स्मार्ट कक्ष की स्थापना/प्रार्थना स्थल इत्यादि।
- सरकारी/सार्वजनिक भवनों की छतों से वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के साथ ही टांका निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्य।

- पशुखेली निर्माण कार्य एवं पशुधन विकास हेतु अन्य गतिविधियॉ।
- सामुदायिक टांकों में वर्षा जल एकत्रित कर सोलर पम्प से पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- फलोराइड वाले गांवों में सार्वजनिक वाटर प्यूरिफायर लगाना।
- गांवों में ड्रेनेज सिस्टम विकसित कर पूर्व के निर्मित जल स्त्रोतों को भरना तथा उस जल को सामुदायिक भूमि में पौधारोपण कार्य के उपयोग में लेना।
- सार्वजनिक भूमि में पोषण वाटिका/जलग्रहण वाटिका का निर्माण कार्य।
- चारा बैंक की स्थापना करना।

प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रतिबन्धित होंगे :–

- सी.सी. रोड़, खंरजा, कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन, रिहायशी भवन, स्वागत द्वार, चारदीवारी, श्मशान शेड, चबूतरा, गांव की नाली/नाला कार्यों का निर्माण।
- हैण्डपम्प, पानी की टंकी व पानी की पाईप लाइन एवं पेयजल हेतु ट्यूबवेल।
- सोलर लाइट्स।
- निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य।
- धार्मिक स्थल यथा– मन्दिर, मस्जिद आदि का नवीन निर्माण/पुनरूद्वार, एवं धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य।
- केन्द्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राहत कोष को अंशदान, अनुदान तथा ऋण प्रदान करना।
- तारबन्दी (कांटेदार तार)।

(आशीष गुप्ता)
निदेशक

क्रमांकः एफ.18(242)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2021–22/5959–6005 दिनांक :– 01/02/2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
7. समस्त परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी.सी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों के अनुसार ई.पी.ए. कार्यों का चयन करते हूए दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करावें
8. संयुक्त निदेशक, एम.आई.ई.एस. मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट के पी.एम.के.एस.वाई. 2.0 लिंक अन्तर्गत उक्त आदेश को अपलोड करने का श्रम करावें।

01/02/2022
संयुक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी)